—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 65/2020

उनवान

कमला पत्नी पीरूलाल जाति जाचक निवासी 57 गणेश मंदिर के सामने, घूघरा घाटी, अजमेर।

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. रामकरण यादव पुत्र रामदेव जाति यादव निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड,
2 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 19.8.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 602 रकबा 1—7—0 की आराजी तत्कालीन राजस्व अभिलेख में बजरंगलाल, कन्हैयालाल, पीरू पि. उगमा के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त आराजी पर प्रत्येक खातेदार का बराबर—बराबर हिस्सा निहित था। खातेदार बजरंगलाल व कन्हैयालाल ने उक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 17.12.03 को प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण पुत्र रामदेव को विक्रय की थी। आराजी मुतनाजा में पीरू का हिस्सा कभी भी बैचान नही किया गया। खातेदार बजरंगलाल व कन्हैयालाल द्वारा किये गये विक्रय का नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 26.02.04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण में शेष इन्द्राज बदस्तुर रहने का अंकन है। उक्त विक्रय व नामान्तकरण के बाद वंर्किग खसरा नम्बर 602 रकबा 1—7—0 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा व पीरूलाल का 1/3 हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्तानुसार अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.22 पर वादी को सहखातेदार दर्ज करने के बजाय पूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी। आराजी मुतनाजा [illegible] अथवा वादी का नाम बिना किसी कारण के तर्क कर दिया गया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर वाद के कब्जे [illegible] कर रहा है तथा अन्यत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:20 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा के 1/3 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 नपे वाद पत्र के तथ्य को स्वीकार करते हुये वाद के निस्तारण का निवेदन किया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होता है।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम ग्राम कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 602 रकबा 1–7–0 की आराजी तत्कालीन राजस्व अभिलेख वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 19/19 में में बजरंगलाल, कन्हैयालाल, पीरू पि. उगमा के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त आराजी पर प्रत्येक खातेदार का बराबर–बराबर हिस्सा निहित था। खातेदार बजरंगलाल व कन्हैयालाल ने उक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 17.12.03 को प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण पुत्र रामदेव को विक्रय की थी। आराजी मुतनाजा में पीरू का हिस्सा कभी भी बैचान नही किया गया। खातेदार बजरंगलाल व कन्हैयालाल द्वारा किये गये विक्रय का नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 26.02.04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण में शेष इन्द्राज बदस्तुर रहने का अंकन है। वंर्किग जमाबंदी में भी खातेदार खातेदार बजरंगलाल व कन्हैयालाल का हिस्सा ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने का अंकन है। उक्त विक्रय व नामान्तकरण के बाद वंर्किग खसरा नम्बर 602 रकबा 1–7–0 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा व पीरूलाल का 1/3 हिस्सा निहित है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.22 पर वादी को सहखातेदार दर्ज करने के बजाय पूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी। आराजी मुतनाजा में से पीरू अथवा वादी का नाम बिना किसी कारण के तर्क कर दिया गया। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार पीरू पि. उगमा ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय नही किया था। प्रतिवादी संख्या 1 व राज. पैरोकार ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। प्रकरण में कोई विपरित तथ्य प्रकट नही हाते है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनो की ताईद होती है। वादी पीरू की पत्नी है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी आराजी मुतनाजा के 1/3 हिस्से पर खातेदारी प्रापत करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.22 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कमला बनाम रामकरण

दावा बाबत :– 88 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –65/2020
पेश करने की दिनांक –05.08.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्ई नरेन्द्र सिंह राठौड व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.22 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 8 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई | मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान | मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद